निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 737) पटना, वृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2021

सं० 2@ lh0&1088@2009–8776 / सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

12 अगस्त 2021

श्री अनिल कुमार सिन्हा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1049 / 11, तत्कालीन अंचलाधिकारी –सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही, मधुबनी के विरूद्ध सतधारा पंचायत के सतधारा ग्राम में बाढ़ सुरक्षात्मक चबूतरा निर्माण हेतु अभिलेख तैयार करने में अनियमितता संबंधी आरोप के लिए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 6990 दिनांक 11.08.2009 (पृ–24.01 / प०) द्वारा आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) उपलब्ध कराया गया।

श्री सिन्हा के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप है :–

आरोप सं0–(i) A& ये बाबूबरही प्रखंड में विकास पदाधिकारी के रूप में वर्ष 2007 में पदस्थापित थे। सतधारा पंचायत के सतधारा ग्राम में बाढ़ सुरक्षात्मक चबूतरा निर्माण हेतु अभिलेख तैयार कर स्वीकृति हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी को प्राप्त हुआ था, जिसमें योजना सरकारी जमीन पर कार्यान्वयन कराने का प्रतिवेदन था।

आरोप सं0–(ii) A& इस योजना की प्राक्कलित राशि 5.07 लाख रू0 के विरूद्ध श्री रामधनी हाजरा, राजस्व कर्मचारी, बाबूबरही को विभिन्न चरणों में 2.475 लाख रू0 अग्रिम दिया गया था। मापीपुस्त की राशि मो0–110974 / – रू0 पाई गई।

आरोप सं0–(iii) A& अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि चबूतरा निर्माण हेतु सतधारा थाना नं0–106, खेसरा संख्या–1405, रकवा–2 बीघा 18 कट्ठा 18 धुर में मात्र 14 कट्ठा 13 धुर बिहार सरकार के नाम से जमीन और शेष जमीन 2 बीघा 04 कट्ठा 05 धुर अन्य लोगों के नाम बन्दोबस्त है, जबकि स्थलीय जांच के क्रम में पाया गया कि योजना एक तिहाई हिस्सा सरकारी जमीन खाता सं0–351, खेसरा संख्या–1405 में 14 कट्ठा 13 धुर अंश पर, लगभग दो तिहाई हिस्सा उससे सटे निजी जमीन खाता सं0–263, खेसरा संख्या–1417, रकवा–1, बीघा–11, कट्ठा–17 धुर के अंश पर बनाया गया है, जबकि योजना अभिलेख में जमीन संबंधी कोई विवरण नहीं है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी के आदेश ज्ञापांक 1296 दिनांक 10.06.2006 की कंडिका 3 में उल्लेखित है कि स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त कर ही योजना कार्यान्वयन कराया जाय और जमीन सरकारी एवं विवादरहित हो किसी भी स्थिति में गैर सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य नहीं कराया जाय। श्री सिन्हा द्वारा इस शर्त्त की अनदेखी करते हुए जमीन संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना योजना का कार्यान्वयन कराया गया, जिस कारण एक ओर जहां सरकारी राशि का दुरूपयोग / गबन किया गया है वहीं योजना की उपादेयता निरर्थक साबित हुई।

आरोप सं0–(iv) A& इस प्रकार उपरोक्त योजना में विभागीय निदेशों एवं योजना की मार्गदर्शिका में वर्णित निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। बगैर स्थल का भौतिक सत्यापन किए, योजना की उपादेयता को ध्यान मे रखते हुए योजना का कार्यान्वयन कराना और अग्रिम दिया जाना आपकी प्रशासनिक अक्षमता परिलक्षित करने के साथ–साथ आपके स्वेच्छाचारिता एवं कर्त्तव्यहीनता को भी प्रदर्शित करता है। आपके द्वारा उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेशों एवं विभागीय निदेशों की अवहेलना की गयी है। आपका यह आचरण सरकारी सेवा शर्तों के प्रतिकूल है।

विभागीय पत्रांक 9880 दिनांक 06.10.2009 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण की गयी। श्री सिन्हा के पत्र दिनांक 30.10.2009 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिन्हा का कहना है कि :–

आरोप सं0–1 का स्पष्टीकरण :– दिनांक 16.04.2007 को मेरे द्वारा प्रभार ग्रहण किया गया था। आरोप में वर्णित योजना सरकारी जमीन पर कार्यान्वयन संबंधी प्रतिवेदन के साथ प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी को वर्ष 2006 में ही आरम्भ हुआ था। मेरे प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही, मधुबनी के प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन एवं आरोप के साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराये गये योजना अभिलेख के साथ संलग्न चेक स्लीप के अवलोकन से यह स्वतः स्पष्ट है कि यह योजना मेरे प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही के पद पर प्रभार ग्रहण करने के पूर्व की है। मेरे द्वारा इस योजना में केवल एक अग्रिम दिया गया जो कार्य स्थल के निरीक्षण के उपरान्त अभिकर्त्ता के आवेदन पर कनीय अभियन्ता की अनुशंसा के आलोक में प्रदान की गई है।

आरोप सं0–2 का स्पष्टीकरण :– इस योजना में केवल एक अग्रिम दिया गया, जो कार्य स्थल के निरीक्षण के उपरान्त अभिकर्त्ता के आवेदन पर कनीय अभियन्ता की अनुशंसा के आलोक में प्रदान की गई है।

आरोप सं0–3 का स्पष्टीकरण :– मेरे प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही, मधुबनी के प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन (दिनांक 16.04.2007) के अवलोकन से यह स्वतः स्पष्ट है कि कंडिका–3(1) में लगाये गये आरोप मेरे प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही के पद पर प्रभार ग्रहण करने के पूर्व का है। योजना का कार्यान्वयन 2006 में आरम्भ किया गया था, जबकि मेरे द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही का प्रभार दिनांक 16.04.2007 को ग्रहण किया गया था। कंडिका–3(2) में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी के आदेश ज्ञापांक 1296 दिनांक 10.06.2006 की कंडिका–3 में वर्णित निदेश यथा स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त कर ही योजना सरकारी एवं विवाद रहित जमीन पर कराया जाय तथा किसी भी स्थिति में गैर सरकारी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय के शर्त की अनदेखी का जो आरोप मुझ पर लगाया गया है, वह असत्य है क्योंकि यह योजना 2006 में प्रारम्भ की गयी थी जबकि मेरे द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही का प्रभार दिनांक 16.04.2007 को ग्रहण किया गया था।

आरोप सं0–4 का स्पष्टीकरण :– इस प्रकार उपरोक्त कंडिकावार, बिन्दुवार स्पष्टीकरण से यह स्वतः स्पष्ट है कि यह योजना मेरे कार्यकाल में प्रारम्भ नहीं किया गया था। इस योजना में विभागीय निर्देशों एवं योजना की मार्गदर्शिका में वर्णित निदेशों का अनुपालन न कर प्रशासनिक अक्षमता, स्वेच्छाचारिता, कर्त्तव्यहीनता, उच्चाधिकारी एवं विभागीय निदेशों की अवहेलना का जो आरोप मेरे उपर लगाया गया है, वह असत्य, बेबुनियाद एवं निराधार है।

श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 11119 दिनांक 02.12.2009 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 12/जि0गो0 दिनांक 02.01.2010 द्वारा मंतव्य समर्पित किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी, मधुबनी का कहना है कि :–

आरोप सं0–1 के संबंध में जिला पदाधिकारी का मंतव्य :– सतधारा पंचायत के सतधारा ग्राम में बाढ़ सुरक्षात्मक चबूतरा निर्माण हेतु अभिलेख निहित शर्तों के साथ स्वीकृति हेतु वर्ष 2006 में जिला विकास अभिकरण, मधुबनी को भेजा गया था। श्री अनिल कुमार सिन्हा, अंचलाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही के संज्ञान में था कि योजना कार्य सरकारी जमीन पर नहीं होकर रैयती भूमि पर हो रही है तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देना चाहिए था। परन्तु इन्होंने तथ्यों की जानकारी वरीय पदाधिकारी को नहीं दिया जो एक गंभीर लापरवाही का द्योतक है। श्री सिन्हा का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप सं0–2 के संबंध में जिला पदाधिकारी का मंतव्य :– श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण से भी स्वतः स्पष्ट है कि एक अग्रिम (अन्तिम अग्रिम) अभिकर्त्ता को दिया है। बिना कार्य की मापी कराये इनके द्वारा जानबूझकर 100000.00 (एक लाख) रूपया योजना अभिकर्त्ता को दिया गया है। जबकि योजना में प्राप्त मापी के अनुसार योजना अभिकर्त्ता द्वारा लिये गये अग्रिम के विरूद्ध बिना कार्य कराये ही अग्रिम पर अग्रिम प्राप्त करते गये। छद्म लाभ के लिए अग्रिम भुगतान कर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। अतएव श्री सिन्हा का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप सं0–3 के संबंध में जिला पदाधिकारी का मंतव्य :– जब संदर्भित योजना में सभी शर्त्त योजना अभिलेख की स्वीकृति के साथ भेजा था फिर भी योजना को रैयती भूमि पर कार्यान्वित किया गया। उल्लेखनीय है कि रैयती भूमि पर योजना कार्यान्वयन हेतु रैयतों द्वारा भूमि दान में दिया गया तो योजना कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उक्त भूमि का निबंधन महामहिम राज्यपाल, बिहार सरकार के नाम कराने के पश्चात ही योजना कार्य प्रारंभ करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इस बात की पूरी जानकारी श्री सिन्हा को अपने कार्यकाल में थी। परन्तु इन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी को वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं दिया और अभिकर्त्ता को इनके द्वारा भी अग्रिम दिया गया। तथ्यों को वरीय पदाधिकारी के प्रकाश में नहीं लाना भी एक गम्भीर लापरवाही है। श्री सिन्हा का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप सं0–4 के संबंध में जिला पदाधिकारी का मंतव्य :– उपरोक्त कंडिका में वर्णित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि श्री सिन्हा द्वारा जानबूझकर सभी बातों की जानकारी रहते हुए भी अपने उच्चाधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराकर रैयती भूमि पर योजना का कार्यान्वयन जारी रखा तथा अभिकर्त्ता को अग्रिम भी दिया जो स्वतः इनकी

लापरवाही, प्रशासनिक अक्षमता विभागीय मार्गनिर्देशों का उल्लंघन कर इनकी कर्त्तव्यहीनता का परिलक्षित करता है। श्री सिन्हा का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित आरोपों, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा समर्पित मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिन्हा द्वारा सतधारा ग्राम में बाढ़ सुरक्षात्मक चबूतरा निर्माण हेतु योजना कार्य सरकारी जमीन पर नहीं होकर रैयती भूमि पर हो रहा है तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देना चाहिए था। रैयती भूमि पर योजना कार्यान्वयन हेतु रैयतों द्वारा भूमि दान में दिया गया तो योजना कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उक्त भूमि का निबंधन महामहिम राज्यपाल, बिहार के नाम कराने के पश्चात ही योजना कार्य प्रारंभ करना चाहिए था, जो श्री सिन्हा द्वारा नहीं किया गया। श्री सिन्हा द्वारा जानबूझकर सभी बातों की जानकारी रहते हुए भी अपने उच्चाधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराकर रैयती भूमि पर योजना का कार्यान्वयन जारी रखा तथा अभिकर्त्ता को अग्रिम भी दिया, जो स्वतः इनकी लापरवाही, प्रशासनिक अक्षमता विभागीय मार्गनिर्देशों का उल्लंघन कर इनकी कर्त्तव्यहीनता का परिलक्षित करता है। श्री सिन्हा का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) का उल्लंघन है। इसके आलोक में श्री सिन्हा का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री सिन्हा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत **(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2007), (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक** का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अनिल कुमार सिन्हा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1049/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही, मधुबनी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2007),

(ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 737-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in